393242/

संख्याः E66600/FCD-IRFC/FFCG/17/ 2023

प्रेषक,

हिमांशु खुराना,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
31/62, राजपुर रोड,
देहरादून।

वित्त अनुभाग–1 :: देहरादून :: दिनांकः 11 मई, 2026

विषयः– **15वें वित्त आयोग द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत "शहरी स्वास्थ्य और एवं कल्याण केन्द्र (UHWCs)" की वित्तीय वर्ष 2023–24 की अनुमोदित कार्ययोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य आकस्मिकता निधि से अनुदान की धनराशि अंतरित/ अवमुक्त करने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक वित्त आयोग प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के शासनादेश संख्याः F.20 (5)/ FCD/ 2025-26, दिनांकः 30.03.2026 द्वारा 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में स्थानीय निकायों के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान के अन्तर्गत "**शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र–यूएचडब्ल्यूसी (Urban Health and Wellness Centers (UHWCs)**" की वित्तीय वर्ष 2023–24 की अनुमोदित कार्ययोजना हेतु रू0 56,35,00,000.00 (रू0 छप्पन करोड़ पैंतीस लाख मात्र) की धनराशि दिनांकः 30.03.2026 को अवमुक्त की गई है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में स्थानीय निकायों के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान के अन्तर्गत "शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र–यूएचडब्ल्यूसी (Urban Health and Wellness Centers (UHWCs)" की वित्तीय वर्ष 2023–24 की अनुमोदित कार्ययोजना हेतु रू0 56,35,00,000.00 (रू0 छप्पन करोड़ पैंतीस लाख मात्र) की धनराशि राज्य आकस्मिकता निधि से वित्तीय वर्ष 2026–27 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. वित्त अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–132/ xxvii(6)/ 430/ एक/ 2008/ 2019, दिनांक 29 मार्च, 2019 द्वारा समस्त शासकीय विभागों में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) लागू कर दी गई। उक्त शासनादेश में दी गई व्यवस्थानुसार धनराशि का आहरण कर संबंधित विभाग/संस्था द्वारा 15वें वित्त आयोग हेतु खोले गये खातों में हस्तान्तरित किया जायेगा। संबंधित विभाग द्वारा किसी भी दशा में धनराशि अपने स्तर पर नहीं रोकी जायेगी।
2. **अंतरित/अवमुक्त अनुदान की धनराशि दस कार्य दिवसों के भीतर संबंधित विभाग/** स्वायत्त जिला परिषदों के लिये नामित नोडल विभाग **को स्थानान्तरित करना सुनिश्चित किया जायेगा। दस कार्य दिवसों के बाद किसी भी विलम्ब के लिये पिछले वर्ष के लिए बाजार ऋण/ राज्य विकास ऋण (SDLs) पर प्रभावी ब्याज दर के साथ ब्याज सहित किश्त जारी करनी होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित विभाग/ संस्था का होगा।**
3. 15वें वित्त आयोग द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु सस्तुत अनुदान के सबध मे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, वित्त आयोग प्रभाग, भारत सरकार द्वारा शासनादेश संख्या F.15(2) FC-XV/FCD/ 2020-25, दिनाक 16.07.2021 द्वारा निर्गत परिचालन दिशा–निर्देश (Inculding Addendum Dated 07.09.2021 & O.M. dated: 27.01.2022) एवं स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत तकनीकी दिशा–निर्देशो के साथ–साथ 15वें वित्त आयोग के प्रतिवेदन, अध्याय–7 में की गई संस्तुतियों के अनुसार ही अनुदान का सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा।
4. प्राप्तकर्ता इकाई को यह सुनिश्चित करना होगा कि 15वें वित्त आयोग द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु संस्तुत अनुदान के लिए अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक में एक अलग से बैंक खाता खोला गया हो, जो पीएफएमएस (PFMS) से सबद्ध हो तथा पूरी अवार्ड अवधि के दौरान प्रत्येक लेनदेन को अनुरक्षित (Maintained) किया जायेगा।
5. राज्य को जारी कम्पोनेन्ट विशिष्ठ स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान की राशि 5th NLC की दिनांक 29.03.2023 को आयोजित बैठक तथा सशोधित बैठक दिनाक 16.04.2025 में दी गई मजूरी तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के O.M. दिनांक 28.03.2026 में की गई संस्तुतियों के आधार पर जारी की जा रही है।

Page | 1 P.T.O

6. 15वें वित्त आयोग द्वारा "शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों" हेतु संस्तुत स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान का उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की विकेन्द्रित आपूर्ति को छोटे जन समूहों तक सक्षम बनाना है, जिससे कमजोर एवं वंचित वर्गों तक पहुंच बढ़ाई जा सके। इसके अन्तर्गत चिकित्सा प्रशासनिक स्टाफ एवं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों के माध्यम से कम से कम माह में एक बार सार्वजनिक स्वास्थ्य विषयों पर जानकारी प्रसारित करने की व्यवस्था भी विकसित की जाएगी। राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि 15वें वित्त आयोग से वित्त पोषित योजना का और अन्य योजनाओं जैसें– एनएचएम (NHM) पीएमएएसबी वाई (PMASBY) आदि से पुनरावृत्ति/ दोहरीकरण (Duplication) न हो।
7. **अंतरित/ अवमुक्त धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि नियमावली, 2001 एवं समय–समय पर निर्गत शासनादेशों एवं संगत नियमों, व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**
8. राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृति धनराशि का यथा समय समायोजन किया जायेगा।
9. आयोग द्वारा उक्त अनुदान विशिष्ठ स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन हेतु संस्तुत किया गया है, जिसका उपयोग उसी योजना के अन्तर्गत किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृत किया गया है।
10. <u>चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा भारत सरकार को प्रेषित तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार ही अनुदान की धनराशि का उपयोग किया जायेगा</u>। इस संबंध में शहरी विकास एवं चिकित्सा विभाग द्वारा आपस में समन्वय स्थापित कर धनराशि के पूर्ण सदुपयोग हेतु तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
11. वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः I/384289/E-94611/09 (150) 2019/XXVII(1)/ 2026, दिनांकः 01 अप्रैल, 2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियों के संबंध में निर्गत दिशा–निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. अंतरित की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रक्योमेंट) नियमावली–2025 (समय–समय पर यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत किया जायेगा।
13. शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन, विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।
14. अंतरित धनराशि के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशानुसार निर्धारित एनेक्सर–IX, अनुदान हस्तांतरण प्रमाण–पत्र (GTC) पर वांछित सूचना सचिव, शहरी विकास एवं सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन (नोडल विभाग) के हस्ताक्षर से तत्काल वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
15. अलॉटमेन्ट आई.डी. संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

3– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में प्रथमतः लेखाशीर्षक –8000–आकस्मिकता निधि–राज्य आकस्मिकता निधि– लेखा, 201–समेकित निधि के विनियोजन एवं अन्ततः अनुदान संख्याः 07 के लेखाशीर्षक–3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन –00–200– अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन–01–केन्द्र सहायतित योजना–19–शहरी स्वास्थ्य एवं अरोग्य केन्द्रों के लिए अनुदान–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

<u>संलग्नकः–यथोपरि।</u>

भवदीय,

Digitally signed by Himanshu Khurana
Date: 06-05-2026 11:34:4

(हिमांशु खुराना)
अपर सचिव।

<u>संख्याः 63</u> /XXVII(1)/ रा.आ.नि./ 2026, दिनांकः 11 मई, 2026

<u>प्रतिलिपिः–</u> महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून को एक अतिरिक्त प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(हिमांशु खुराना)

अपर सचिव, वित्त।

संख्याः393242/66600/FCD-IRFC/FFCG/17/ 2023, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी एवं कुमायूं मण्डल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, वित्त आयोग प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
6. निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, कोषागार एवं लेखा हकदारी, 23—लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
8. महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
9. समस्त संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. संबंधित मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निजी सचिव, मा0वित्त मंत्री/ मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
12. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
13. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.), सचिवालय परिसर, देहरादून।

(हिमांशु खुराना)
अपर सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2026 - 2027)

HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)

Treasury-Cyber(1200)

DDO-Director Urban Development Dehradun(2877)

आवंटन पत्र संख्या -66600
अनुदान संख्या-PAC

आवंटन आई डी-H2605PAC0001
आवंटन पत्र दिनांक-11-MAY-2026

लेखा शीर्षक	8000-आकस्मिकता निधि	00--
	201-समेकित निधि से विनियोग	00-समेकित निधि से विनियोग
	00-समेकित निधि से विनियोग	Voted

कनेक्ट अनुदान संख्या-007

8	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	1	1	9

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
56-सहायक अनुदान (समान्य गैर वेतन)	0	563500000	0	563500000
योग	0	563500000	0	563500000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.56,35,00,000 (Rupees Fifty Six Crores Thirty Five Lacs Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2605:0011

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

K.K. Pandey
Section Officer
Finance Section-1
Govt. of Uttarakhand